फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी सांगानेर

रामनारायण बनाम रुकमा

संख्या / वर्ष 7/2018 : दावा / 20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
5/1/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वकील प्रतिवादी का कथन है कि पक्षकार 2 माह से सम्पर्क में नहीं हैं मैंने रजिस्टर्ड डाक डाली है। वकील प्रतिवादी ने बहस करने हेतु समय चाहा गया। चाहा गया समय दिया जाकर आगामी पेशी पर अनिवार्यतः बहस हेतु उपस्थित रहें। पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम हेतु दिनांक 10/1/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
10/1/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वकील प्रतिवादी अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम हेतु पत्रावली दि० 11/1/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
11/1/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वकील प्रतिवादी अनुपस्थित। वकील प्रतिवादीगण को बार-बार रुक रुक कर आवाज लगवाई गई। वकील प्रतिवादी अनुपस्थित। प्रकरण में कई मर्तबा अवसर अंतिम बहस हेतु दिये जाने के उपरान्त भी बहस प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा नहीं की गई। आज पत्रावली आवश्यक रूप से अन्तिम बहस हेतु रखी गई। प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। वकील वादी की अन्तिम बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश हेतु दि० 12/1/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal
Date: 2024.02.07 15:55:36
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी : महीपाल चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या 07/2018

रामनारायण पुत्र श्री रामानन्द उम्र 65 वर्ष जाति बागड़ा ब्राह्मण निवासी बागड़ो का बड़, ग्राम व कस्बा सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर (राज०)

......वादी

बनाम

1 श्रीमती रूकमा देवी धर्मपत्नी स्व. श्री कल्याण (मृतका दौराने दावा)

2 हनुमान सहाय पुत्र स्व. श्री श्योराम

3 हुकमचन्द पुत्र स्व. श्री श्योराम

4 श्रीमती सूजांदेवी धर्मपत्नी स्व. श्री श्योराम
समस्त जातियान बागड़ा ब्राह्मण समस्त निवासीयान बागड़ो का बड़, ग्राम व कस्बा सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज.।

5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर पता–तहसील कार्यालय सांगानेर जिला जयपुर राज.।

6 राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक सांगानेर प्रथम पता–उप पंजीयक कार्यालय–नगर निगम रोड़, सांगानेर, जिला जयपुर राज.।

......प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा व सीमाज्ञान, पत्थरगडी अन्तर्गत धारा 88, 92–क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 12.01.2024

वादी ने वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा व सीमाज्ञान, पत्थरगडी अन्तर्गत धारा 88, 92–क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 3645 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 3675 रकबा 01 बीघा, खसरा नम्बर 3733 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 3735 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 3737 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 3745 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 3746 रकबा 01 बीघा, खसरा नम्बर 3749 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 3759 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 3760 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 3801 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 3802 रकबा 15 बिस्वा, [illegible] बिस्वा, खसरा नम्बर 3817 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा खसरा नम्बर [illegible] 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 3846 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा, [illegible], खसरा नम्बर 3852 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 385[illegible] 01 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 3857 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 3827 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 3859 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्ब[illegible]30 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 23 कुल रकबा 24 बीघा 15 बिस्वा ग्राम व कस्बा सांगानेर, पटवार हल्का सांगानेर, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.07 15:55:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

राजस्थान में स्थित है जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2025 से 2028 वादी सहित वादी के सगे भाई सुजा व जगदीश के नाम दर्ज है जिसके दौराने द्वितीय पैमाईश हाल राजस्व रिकार्ड हाल मिसल बंदोबस्त के हाल खसरा नम्बर 2242 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2408 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2535 रकबा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2536 रकबा 0.61 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2539 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2543 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2544 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2545 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2547 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2550 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2554 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2558 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2566 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2576 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2222 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2394 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2395 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2396 रकबा 1.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2400 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2401 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2402 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2403 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2404 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2409 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2553 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2579 रकबा 0.45 हैक्टेयर, कुल किता 26 कुल रकबा 6.20 हैक्टेयर के रूप में वादी व वादी के सगे भाई सुजा व जगदीश के नाम दर्ज किया है, जिसके हाल खसरा नम्बर 2576 रकबा 0.20 हैक्टेयर वादी हक, हकूको नही है जो समक्ष न्यायालय की डिक्री केअनुसार मूल काश्तकारो के नाम हाल राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जा चुका है जिसके कारण वादी का हाल रकबा 6.00 हैक्टेयर ही हाल राजस्व रिकार्ड में शेष रहा जाता है उक्त हाल खसरा नम्बरान में से हाल खसरा नम्बर 2579 रकबा 0.45 हैक्टेयर तथा हाल खसरा नम्बर 2242 रकबा 0.27 हैक्टेयर विक्रय किये जा चुके है जिसके बाद वादी का राजस्व रिकार्ड हाल जमाबंदी में रकबा 5.28 हैक्टेयर शेष रहता है तथा वादी के दोनो सगे भाई सुजा व जगदीश अविवाहित/ नाऔलाद फोत हो चुके है जिनके हिस्से का नामान्तकरण भी वादी के हक में राजस्व रिकार्ड में निष्पादित हो चुका है। प्रतिवादी संख्या–01 लगायत 04 के पूर्वज की कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 3826 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 3828 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 3829 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 3856 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 3644 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 3647 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 3734 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 3744 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 3748 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 3751 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 3753 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 3754 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 3815 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 3816 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 3825 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 3848 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 3858 रकबा 08 बिस्वा कुल किता 17 कुल रकबा 16 बीघा 05 बिस्वा ग्राम व कस्बा सांगानेर, पटवार हल्का सांगानेर, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2025 से 2028 में उनके पूर्वज जगन्नाथ पुत्र मोटा के नाम दर्ज है [illegible] द्वितीय पैमाईश बने राजस्व रिकार्ड हाल मिसल बंदोबस्त में हाल खसरा [illegible] रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2228 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2410 रकबा 0.86 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2411 रकबा 0.56 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2537 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2538 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2540 रकबा 0.41 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2562 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2567 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2569 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2570

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.07 15:55:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2571 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2572 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2573 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2574 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2575 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2578 रकबा 0.16 हैक्टेयर, हैक्टेयर कुल किता 17 कुल रकबा 3.78 हैक्टेयर बनाकर उनको तो प्रतिवादी संख्या–01 लगायत 04 के पूर्वज कल्याण, श्योराम पुत्रान जगन्नाथ के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया लेकिन भू प्रबन्ध कर्मियो ने द्वितीय पैमाईश त्रुटिवश प्रतिवादी संख्या–01 लगायत 04 के पूर्वजो के साबिक खसरा नम्बरान से बने हाल खसरा नम्बर 2397 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2398 रकबा 0.10 हैक्टेयर, व खसरा नम्बर 2399 रकबा 0.14 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.42 हैक्टेयर को कन्हैयालाल वगैराह पुत्र कल्याण बागड़ा के नाम हाल मिसल बंदोबस्त में दर्ज कर दिया जो वाद में प्रतिवादी संख्या–01 के पूर्वज कल्याण, श्योराम ने निर्णय डिक्री दिनांक 02–02–1999 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय मिसल नम्बर 311/99 की अनुपालना में नामान्तकरण संख्या 325 दिनांक 09–04–1999 के आधार पर अपने खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये इस प्रकार प्रतिवादी संख्या–01 लगायत 04 का कुल रकबा 4.20 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है अर्थात साबिक रकबा 16 बीघा 05 बिस्वा मीट्रिक प्रमाणी से परिवर्तित माप 4.06 हैक्टेयर के बजाय उपरोक्त वर्णितानुसार **कुल रकबा 4.20 हैक्टेयर** हाल राजस्व रिकार्ड में बनाया है जिसमें **लगभग 0.16 हैक्टेयर भूमि ज्यादा** प्रतिवादी संख्या–01 लगायत 04 के नाम है जिसमें से प्रतिवादी संख्या–01 लगायत 04 द्वारा हाल खसरा नम्बर 2224 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2228 रकबा 0.25 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.34 हैक्टेयर विक्रय किया चुका है जिसके बाद प्रतिवादी संख्या–01 लगायत 04 का किता 18 के रूप में कुल रकबा 3.86 हैक्टेयर हाल राजस्व रिकार्ड हाल जमाबंदी में दर्ज है।वाद पत्र की मद संख्या–02 में वर्णित हाल खसरा नम्बर 2540 रकबा 0.41 हैक्टेयर इस वाद पत्र में वादग्रस्त है उक्त वादग्रस्त उक्त हाल खसरा नम्बर 2540 रकबा 0.41 हैक्टेयर साबिक खसरा नम्बर 3856 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 3858 रकबा 08 बिस्वा से बना है उक्त दोनो साबिक खसरा नम्बरान का कुल रकबा साबिक माप के अनुसार 01 बीघा 03 बिस्वा होता है जिसकी परिवर्तित माप मीट्रिक प्रणाली से माप रकबा 0.29 हैक्टेयर होती है जिसको दौराने द्वितीय पैमाईश भू प्रबन्ध कर्मियो ने रकबा 0.41 हैक्टेयर बनाया है **अर्थात रकबा 0.12 हैक्टेयर ज्यादा बनाया है** और वादी के साबिक खसरा नम्बर 3859 रकबा 15 बिस्वा की परिवर्तित माप मीट्रिक प्रणाली से रकबा 0.19 हैक्टेयर होती है जिसको भू प्रबन्ध कर्मियो ने हाल खसरा नम्बर 2535 मिन रकबा 0.07 हैक्टेयर बनाकर उसको वादी के साबिक खसरा नम्बर 3855 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 2535 मिन रकबा 0.29 हैक्टेयर बनाकर हाल कुल रकबा 0.36 हैक्टेयर बनाया है जबकि वादी के साबिक खसरा नम्बर 3855 व 3859 का हाल रकबा 0.48 हैक्टेयर होता है **अर्थात वादी का हाल रकबा 0.12 हैक्टेयर कम बनाया है** जिससे साबित है कि साबिक व हाल नक्शेनुसार हाल वादग्रस्त खसरा नम्बर 2540 रकबा 0.41 हैक्टेयर का पूर्वी हिस्सा [illegible] उत्तर से दक्षिण का रकबा 0.12 हैक्टेयर वादी के हक, हकूको का है जिस [illegible] इन्द्राज भी काबिज काश्त है। वादी अधिकारी है कि वह अपनी खातेदारी भूमि [illegible] नम्बर 3859 रकबा 15 बिस्वा के यथास्थान पर [illegible] नम्बर 2540 रकबा 0.41 हैक्टेयर का पूर्वी हिस्सा सीमा उत्तर दक्षिण लम्बाई [illegible]बा 0.12 हैक्टेयर साबिक नक्शे व साबिक रिकार्ड के अनुसार जो वादग्रस्त है की खातेदारी घोषणा प्राप्त करे, अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करावे व प्रतिवादी संख्या–01 लगायत 04 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.07 15:55:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

करने का भी अधिकारी है कि वे बाद रिकार्ड दुरूस्ती उक्त भूमि में वादी के कब्जे काश्त व उपयोग व उपभोग में बाधा कारित न करे, ना किसी अन्य से करावे, वादी वादग्रस्त भूमि की अपने हक में घोषणा करवाकर वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगडी करवाने का भी अधिकारी है। वाद कारण दिनांक 01—12—2017 को तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या—01 लगायत 04 मौके पर चार—पांच अन्य दीगर व्यक्तियो के साथ आये और वादग्रस्त भूमि की नाप जोख करने लगे और वादी को बैदखल करने का प्रयास किया वादी के ऐतराज करने पर कहा की वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हमारे नाम दर्ज है हम इस भूमि को बैचान करेगे इस दौरान मौके पर इक्कठी हुयी भीड़ को देखकर मौके की स्थिति समझते हुए प्रतिवादी संख्या—01 लगायत 04 अपने साथ आये अन्य दीगर व्यक्तियो के साथ वापिस चले गये लेकिन जाते—जाते उन्होने वादी को ऐलानिया धमकी दी वह वादग्रस्त भूमि का बैचान कर उस पर से वादी को जबरन बैदखल करेगे जिससे वादी को अन्देशा हो गया कि प्रतिवादी संख्या—01 लगायत 04 कभी भी वादी को उसकी हक, हकूको की हाल वादग्रस्त भूमि से बैदखल कर देगे तब वादी की जानकारी मेंआया की वादग्रस्त भूमि जो वादी के हक, हकूको की पैत्रक खातेदारी कृषि भूमि है जो भू प्रबन्ध कर्मियो की त्रुटियो के कारण वादी के नाम न होकर प्रतिवादी संख्या—01 लगायत 04 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इस पर वादी ने वादग्रस्त भूमि से संबंधित साबिक व नया राजस्व रिकार्ड प्राप्त किया तो वादी को इस तथ्य की जानकारी हुई कि दौराने द्वितीय पैमाईश भूप्रबन्ध कर्मियो ने उनके हक, हकूको की पैत्रक खातेदारी वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी संख्या—01 लगायत 04 के पूर्वजो के नाम से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर दिया है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड हाल जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या—01 लगायत 04 के नाम दर्ज है जो गलत है जो वादी के खातेदारी हक, हकूको की पैत्रक कृषि भूमि है। इसलिये वाद पत्र बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा, सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी श्रीमान के समक्ष पेश करना लाजिमी हुआ है। जो आवश्यक प्रकृति का होने के कारण प्रतिवादी संख्या—05 व प्रतिवादी संख्या—06 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 सी. पी. सी. बाबत छूट वाद संस्थित किये जाने की इजाजत प्रदान करने सहित दो असल प्रतियो में पेश है। प्रतिवादी संख्या—05 को वादग्रस्त भूमि भू धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी संख्या—06 वादग्रस्त भूमि का पंजीयन कर्ता होने के कारण पक्षकार बनाया गया है।वाद कारण दिनांक 01—12—2017 को प्रतिवादी संख्या—01लगायत 04 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात से जो वादी के हक, हकूकों की पैत्रक खातेदारी कृषि है से जबरन बैदखल करने व बैचान करने की ऐलानिया धमकी से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।वाद श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। वाद पत्र अन्दर मियाद पेश है, वाद पत्र उचित शुल्क पर पेश है। वाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि वाद वादी डिक्री विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 किया जाकर वाद पत्र में व[illegible] सांगानेर पटवार हल्का सांगानेर भू. अभि. नि. क्षेत्र सांगानेर तहसी[illegible] जिला जयपुर राज. स्थित वादग्रस्त भूमि हाल खसरा [illegible] की पूर्वी हिस्सा सीमा लम्बाई उत्तर—दक्षिण सीमा [illegible] कुल रकबा 0.[illegible] हैक्टेयर को साबिक नक्शे व साबिक माप के अनुसार जो वादग्रस्त है को वादी को रिकार्डेड खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे जो वादी की पैत्रक खातेदारी [illegible] हकूको की कृषि भूमि है व राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती हेतु प्रतिवादी संख्या—05 को आदेशित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या—01 लगायत 04 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.07 15:55:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

से पाबंद किया जावे कि वह बाद रिकार्ड दुरूस्ती वादी की उक्त वर्णित खातेदारी भूमि के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में बाधा कारित न करे, न अन्य किसी से करावे, उपयोग उपभोग में बाधा कारित न करे, न अन्य किसी से करावे।वादी के हक में घोषणा की जाकर वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगडी करवाने के आदेश जारी किये जावे। वादी का वादग्रस्त भूमि का अलग से खाता बनाकर लगान कायम किया जावे।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। जिसमें तामील नोटिस प्रतिवादी संख्या–01 लगायत 04 की ओर श्री रामगोपाल शर्मा एड़वोकेट ने उपस्थित होकर वकालतनामा प्रस्तुत किया।

प्रतिवादी संख्या–01 लगायत 04 की ओर से जवाब दावा पेश हुआ जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार हे कि वाद पत्र में वर्णित तथ्य वादी अपने दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से साबित करे वाद में वर्णित तथ्य मिथ्या व आधारहीन व असत्य होने के कारण अस्वीकार है लेकिन वर्णित भूमि कुल किता 18 कुल रकबा 3.86 हैक्टेयर स्थित वादीगणो के पूर्वजो की पैत्रक होना स्वीकार है, और हाल खसरा नंबर 2397 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2398 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2399 रकबा 0.14 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.42 हैक्टेयर भूमि भी प्रतिवादी संख्या–01 लगायत 04 के पूर्वजो की होना और उस पर प्रतिवादीगण का कब्जा होना व उनके राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना स्वीकार किया हे और यह तथ्य भी स्वीकार किया है कि प्रतिवादी संख्या–01 लगायत 04 की वर्णित सम्पूर्ण भूमि रकबा 4.20 हैक्टेयर के बजाय रकबा 4.23 हैक्टेयर भूमि उनके हाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। हाल खसरा नंबर 2540 रकबा 0.41 हैक्टेयर के संबंध में कोई वाद विवाद नही है इस भूमि में रकबा 0.12 हैक्टेयर प्रतिवादीगण व उनके पूर्वजो के नाम अंकित कर दिया जाना गलत है, अपितु उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या–01 लगायत 04 के पूर्वजो की कृक्षि भूमि है जो उनकी खातेदारी में चली आ रही है वादी ने जो लम्बाई उत्तर से दक्षिण बताई है वादी ने न्यायालय को गुमराह करने के लिए उक्त तथ्य गलत अंकित किये है। उक्त वर्णित भूमि 0.12 हैक्टेयर साबिक नक्शे के अनुसार भूमि नही है वादी किसी प्रकार की घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा, इन्द्राज दुरूस्ती, सीमाज्ञान, पत्थरगढी कराने का अधिकारी नही है। प्रतिवादी संख्या–01 लगायत 04 द्वारा वादी को कोई धमकी नही दी गई ना ही उसके पूर्वजो ने गलत इन्द्राज कराया है राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही है। वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व प्रतिवादी संख्या 05 व 06 को कोई नोटिस नही दिया है जिसके कारण वाद पोषणीय नही है, ना ही कोई वाद कारण उत्पन्न हुआ है, वादी ने उक्त वाद पत्र राजस्थान टिनेन्सी एक्ट व लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है जिसके कारण वाद पत्र न्यायालय को सुनने का अधिकार नही है, दावा मयाद बाहर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपर्याप्त न्याय शुल्क के अभाव में वाद खारिज किये जाने योग्य है। वादी ने वाद पत्र में जो भी अनुतोष चाहा है कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। उक्त वाद पत्र केवल प्रतिवादी संख्या 01 लगायत को हैरान व परेशान की नियत से पेश किया है। जो खारि[illegible] रुपये प्रतिवादी संख्या–01 लगायत 04 को विशेष खर्चे के रूप में दि[illegible]या [illegible] साथ ही वादी ने जवाब दावे के साथ विशेष विवरण [illegible] उल्लेखित करते हुए कहा की वादी ने 2017 से पूर्व कोई [illegible] नही की है इसलिए प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 उक्त भूमि पर कब्जा मुखा[illegible]ना व एडवर्स पजेशन के कारण स्वतः ही रिकॉर्डे काश्तकार कृषक हो गये है। इसलिए भी सरसरी तोर दावा खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.07 15:55:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

दौराने दावा प्रतिवादीया संख्या 01 रूकमा देवी का दिनांक 19.01.2022 को मृत्यु हो गई जिसकी सूचना वादी वकील ने दिनांक 11.02.2022 का न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसको रिकॉर्ड पर दिनांक 08.04.2022 को लिया गया एवं वाद पत्र प्रतिवादीया संख्या 01 रूकमा देवी के नाम के आगे लाल स्याही से मृतक अंकित किया गया।

दावा व जवाब दावा के आधार पर इस प्रकरण में न्यायालय द्वारा निम्न तनकीयात कायम किये गये :–

01. आया वादी वादग्रस्त खसरा नम्बर 2540 के पूर्वी हिस्सा सीमा लम्बाई उत्तर दक्षिण सीमा तक कुल रकबा 0.12 हैक्टयर को साबिक नक्शें व साबिक माप के आधार रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है ? ....वादी

02. आया वादी वादग्रस्त कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है?

....वादी

03. आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है ? ....वादी

04. आया वादी घोषण करवाने के पश्चात् सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी है ? ....वादी

05. आया वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है ?

.....प्रतिवादीगण

06. आया वादी का वाद अवधि बाधित है ?

......प्रतिवादीगण

07. अनुतोष ।

वादी की ओर से वाद के समर्थन में गवाहान रामनारायण पी डब्लू 01, सूजीलाल पी डब्लू 02, नन्छीलाल पी डब्लू 03 के बयान लेख्यबद्व करवाये गये। दावे के समर्थन में वादी की ओर प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी सम्वत् 2025 से 2028 प्रदर्श–1, जमाबंदी सम्वत् 2025 से 2028 प्रदर्श–2, हाल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3, हाल मिसल बंदोबस्त प्रदर्श–4, हाल राजस्व नक्शा प्रदर्श–5, नक्शा पुराना प्रदर्श–6, हाल जमाबंदी प्रदर्श–7, हाल जमाबंदी प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 की प्रदर्श–8, हाल मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नंबर 2576 रकबा 0.19 है० प्रदर्श–9, हाल जमाबंदी हाल खसरा नंबर 2576 रकबा 0.19 है० प्रदर्श[illegible] गये।

प्रतिवादीगण की ओर से किसी भी गवाह को [illegible] संख्या 02 हनुमान सहाय ने अपना साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया लेकिन [illegible] जिरह हेतु उपस्थित होने के कई अवसर दिये जाने के पश्चात भी प्रतिवादी गवाह जिरह हेतु उपस्थित नही हुआ। प्रतिवादीगण की ओर से कोई भी दस्तावेजात प्रस्तुत नही किये गये, ना ही प्रदर्शित करवाये गये, इसलिये न्यायालय ने न्यायहित में जिरह बन्द कर दी इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड [illegible] (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.07 15:35:36 IST
Reason: SelfAttested

किया गया। प्रतिवादीगण का साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किये गये प्रतिवादीगण की साक्ष्य दिनांक 09.11.2023 को बन्द की गई तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद प्रकरण में दिनांक 11.01.2024 को के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रकरण अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है –

<u>तनकी नं०1</u>

आया वादी वादग्रस्त खसरा नम्बर 2540 के पूर्वी हिस्सा सीमा लम्बाई उत्तर दक्षिण सीमा तक कुल रकबा 0.12 हैक्टयर को साबिक नक्शें व साबिक माप के आधार रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है।

उक्त तनकी को साबित करने भार वादी पर है। इस संबंध में वादी ने अपने वाद पत्र में वर्णित अभिवचनों में वर्णित किया है कि साबिक जमाबंदी सम्वत् 2025 से 2028 जो प्रदर्श 01 है के अनुसार मीट्रिक प्रणाली से परवर्तित उसका हाल रकबा 6.20 हैक्टेयर हाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिए जो प्रदर्श 04 हाल मिसल बंदोबस्त में उसके नाम दर्ज है। लेकिन बाद में एक अन्य व्यक्ति महादेव ने दावा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर न्यायालय में निवेदन किया की वादी के उक्त रकबे में उसके साबिक खसरा नंबर 3757 रकबा 15 बिस्वा का हाल खसरा नंबर 2576 रकबा 0.20 हैक्टेयर वादी के नाम दौराने द्वितीय पैमाईश हो गया है जिसको वह दुरूस्त कराने का अधिकारी है ओर सक्षम न्यायालय के आदेश से उक्त खसरा नंबर 2576 रकबा 0.20 हैक्टेयर वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड से हजफ कर दिया जो प्रदर्श 09 व 10 से साबित है जिसके कारण वादी का हाल रकबा 6.00 हैक्टेयर रहा गया। और प्रदर्श 02 जमाबंदी सम्बत् 2025 से 2028 जो प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 के पूर्वजो की है के अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 के पूर्वजो का मीट्रिक प्रणाली से परिवर्तित रकबा 4.06 हैक्टेयर होना चाहिए जब कि हाल राजस्व रिकार्ड में 4.23 हैक्टेयर दर्ज है जिसको प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 ने अपने लिखित जवाब दावे में भी स्वीकार किया है। जिससे साबित है कि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 का हाल रकबा 0.17 हैक्टेयर बैशी है। प्रदर्श 03 हाल मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 के पूर्वजो के साबिक खसरा नंबर 3856 रकबा 15 बिस्वा व खसरा नंबर 3858 रकबा 08 बिस्वा का मीट्रिक प्रमाणी से परिवर्तित रकबा 0.29 हैक्टेयर होना चाहिए था जो हाल खसरा नंबर 2540 रकबा 0.41 हैक्टेयर के रूप में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज व इन्द्राज है। अर्थात हाल खसरा नंबर 2540 में 0.12 हैक्टेयर बैशी दर्ज व इन्द्राज है। वादी के साबिक खसरा नंबर 3859 रकबा 15 बिस्वा का मीट्रिक प्रमाणी से परिवर्तित रकबा 0.19 हैक्टेयर होना चाहिए था जो वादी के हाल राजस्व रिकार्ड में 0.07 हैक्टेयर के रूप में दर्ज है इन तथ्यो से साबित है कि हाल वादग्रस्त खसरा नंबर 2540 में वादी का वादग्रस्त रकबा 0.12 हैक्टेयर को दौराने द्वितीय पैमाईश [illegible] किया [illegible] प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 के पूर्वजो के राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर [illegible] है [illegible] संबंध वादी ने नये पुराने नक्शे प्रदर्श पी–05 व 06 भी प्रस्तुत किये है [illegible] तथ्य साबित है। और इस संबंध में वादी ने अपने साक्ष्य शपथ पत्र व प्रतिपरीक्षा [illegible] के अधिवक्ता द्वारा की गई जिरह में भी स्वीकार किया है कि वादग्रस्त हाल [illegible]सरा नंबर 2540 रकबा 0.41 हैक्टेयर में उसकी 0.12 हैक्टेयर भूमि उत्तर से दक्षिण की लम्बाई में समायोजित है जिस पर वादी काबिज काश्त है। तथा गवाह पी डब्लु 03 नन्छीलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.07 15:55:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 0.12 हैक्टयेर भूमि आज भी ज्यादा है। तथा वादी ने हाल जमाबंदी जो प्रदर्श 07 है प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 की हाल जमाबंदी जो प्रदर्श 08है भी प्रदर्शित करवाई है जिनके अवलोकन से स्पष्ट है के वादी के नाम साबिक रकबे के मुताबिक हाल राजस्व रिकार्ड में भूमि कम दर्ज है एव प्रतिवादीगण के के नाम ज्यादा भूमि दर्ज है जिसमें वादी की वादग्रस्त भूमि रकबा 0.12 हैक्टेयर शामिल है इस प्रकार वादी ने अपने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर साबित किया है कि हाल खसरा नंबर 2540 रकबा 0.41 हैक्टेयर में वादग्रस्त रकबा 0.12 हैक्टेयर भूमि की रिकॉर्डेड खातेदार की घोषणा अपने नाम कराने का अधिकारी है इसलिए विवाद्यक संख्या 01 वादी के हक में निर्णीत की जाती है।

तनकी नं० 2 आया वादी वादग्रस्त कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है चूंकि विवाद्यक संख्या 01 में दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादी को वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नंबर 2540 रकबा 0.41 हैक्टेयर में से वादग्रस्त रकबा 0.12 हैक्टेयर का रिकॉर्डेड काश्तकार घोषणा कराने का अधिकारी निर्णीत किया जा चुका है इसलिए वादी अपनी वादग्रस्त भूमि रकबा 0.12 हैक्टेयर भूमि का राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कराने का अधिकारी है इसलिए विवाद्यक संख्या 02 भी वादी के हक में निर्णीत किया जाता है।

तनकी नं० 3

आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी है चूंकि विवाद्यक संख्या 01 व 02 वादी के हक में निर्णीत कर वादी को वादग्रस्त भूमि का रिकॉर्डेड काश्तकार घोषित कराने व इन्द्राज दुरूस्त कराने का हकदार होना निर्णीत किया जा चुका है तो वादी को अधिकार है कि वह वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमावे इसलिए विवाद्यक संख्या 03 भी वादी के हक निर्णीत की जाती है।

तनकी नं० 4

आया वादी घोषणा करवाने के पश्चात् सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी है

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है चूंकि विवाद्यक संख्या 01, 02 व 03 वादी के हक में निर्णीत की जा चुकी है इसलिए विवाद्यक संख्या 04 भी वादी हक में निर्णीत की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.07 15:55:36 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नं० 5

आया वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है पर प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया कि कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है अपितु पत्रावली व उपलब्ध प्रदर्शित दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त रकबा हाल राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज है जिसको वह बैचान करने की धमकी वादी को दे सकते थे इसलिए विवाद्यक संख्या 05 वादी के हक में बहक प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी नं० 6

आया वादी का वाद अवधि बाधित है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य पेश नही किया है जिससे वह यह साबित कर पाये है कि वादी का वाद पत्र अवधि बाधित है जबकि वादी को अधिकार है कि जब भी वादी को अपनी भूमि के संबंध में किसी त्रुटि का पता चले तो उसको दुरूस्त कराने का अधिकार होता है इसलिए विवाद्यक संख्या 06 वादी के हक में बहक प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी नं० 7

अनुतोष।

चूंकि तनकी संख्या 1 लगायत 6 वाद के पक्ष में निर्णित हुई। इसलिए वादी का वाद पूर्ण रूप से डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद सम्पूर्ण रूप से डिक्री किया जाता है एवं हाल खसरा नम्बर 2540 रकबा 0.41 हैक्टेयर में से वादग्रस्त रकबा 0.12 हैक्टेयर का वाद पत्र में वर्णित पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण लम्बाई भूमि के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 05 को आदेशित किया जाता है कि वह डिक्री के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदार के रूप में इन्द्राज दुरूस्त करे उसका अलग खाता व लगान कायम करे तथा प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 04 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उक्त भूमि खसरा नंबर 2540 रकबा 0.41 हैक्टेयर की पूर्वी दिशा में स्थित उत्तर से दक्षिण लम्बाई में वादी की रकबा 0.12 हैक्टेयर भूमि के कब्जे काश्त निर्माण, उपयोग व उपभोग व अन्य किसी प्रकार की बाधा कारित करे, ना ही किसी अन्य से करावे, बेदखल नही करे। उक्त अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली दर्ज नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.07 15:55:36 IST
Reason: SelfAttested